

प्रेस नोट थाना गगहा गोरखपुर दिनांक 28/10/2020

दो वांछित अभियुक्त एक अदद अवैध तमंचा व दो अदद कारतूस के साथ गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के दिशानिर्देश में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व पुलिस उपाधीक्षक बांसगाव के कुशल मार्ग निर्देशन में थानाध्यक्ष राजप्रकाश सिंह मय फोर्स के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, चेकिंग में मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि दिनांक 26/10/2020 को अहिरौली गांव में जो गोली चलने की घटना हुई थी उससे संबंधित अभियुक्त संतदेव यादव व फागू साहनी रियांव बांध से होते हुए असवनपार पुल पार करके देवरिया भागने की फिराक में हैं, अगर जल्दी की जाए तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की बात पर विश्वास करके मैं एस ओ मय हमराहियान फोर्स को मुखबिर की बात से अवगत कराते हुए मुखबिर को साथ लेकर हाटा बाजार से प्रस्थान कर असवनपार पुल के पास पहुंचकर दुकान की आड़ में छुपकर आने वाले व्यक्तियों का इंतजार करने लगे। कुछ समय पश्चात रियांव बांध की तरफ से टॉर्च की रोशनी आते हुए दिखाई दी कि मुखबिर ने इशारा करके बताया कि साहब वही संतदेव यादव व फागू साहनी हैं जो आ रहे हैं। तत्पश्चात, मुखबिर वापस चला गया। उन दोनों व्यक्तियों के असवनपार पुल के करीब पहुंचने पर हम पुलिस वाले आड़ से निकलकर सड़क पर आए तो हम पुलिस वालों को अचानक देखकर दोनों व्यक्ति सकपका गए और पीछे मुड़ कर भागने का प्रयास किया कि हम पुलिस वाले घेर-घार कर मौके पर ही पकड़ लिया और नाम-पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम संतदेव यादव पुत्र रामानंद यादव निवासी ग्राम अहिरौली थाना गगहा जनपद गोरखपुर तथा दूसरे ने अपना नाम फागू साहनी पुत्र टासू साहनी निवासी ग्राम अहिरौली थाना गगहा जनपद गोरखपुर बताया। दोनों व्यक्तियों की जामा तलाशी ली गई तो संतदेव यादव के पास से 1 अदद तमंचा नाजायज 12 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ जो कि अभियुक्तगण मु0अ0सं0 710/20 धारा 307, 504, 506 आईपीसी के वांछित अभियुक्त हैं। अभियुक्तगण को उनका अपराध बताकर समय करीब बजे 3:45 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। 1-संतदेव यादव पुत्र रामानंद यादव निवासी ग्राम अहिरौली थाना गगहा जनपद गोरखपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0 711/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम संतदेव यादव पुत्र रामानंद यादव निवासी ग्राम अहिरौली थाना गगहा जनपद गोरखपुर पंजीकृत किया गया, जिन्हे जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- (1) संतदेव यादव पुत्र रामानंद यादव निवासी ग्राम अहिरौली थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- (2) फागू साहनी पुत्र टासू साहनी निवासी ग्राम अहिरौली थाना गगहा जनपद गोरखपुर

बरामदगी

एक अदद तमंचा 12 बोर व 1 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर संतदेव उपरोक्त के पास से बरामद

गिरफ्तारी का स्थान व समय

असवनपार पुल के पास दिनांक 28/10/2020 समय 03.45 बजे

अपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-

(1) संतदेव यादव पुत्र रामानंद यादव निवासी ग्राम अहिरौली थाना गगहा जनपद गोरखपुर

1- मु0अ0सं0 937/07 धारा 379/411 आईपीसी

2- मु0अ0सं0 485/10 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

3- मु0अ0सं0484/10 धारा 307 आईपीसी

4- मु0अ0सं0 710/2020 धारा 307/504/506 आईपीसी

5-मु0अ0सं0 711/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

(2) फागू साहनी पुत्र टासू साहनी निवासी ग्राम अहिरौली थाना गगहा जनपद गोरखपुर

1- मु0अ0सं0 710/2020 धारा 307/504/506 आईपीसी

गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्म0गण –

(1) थानाध्यक्ष राजप्रकाश सिंह थाना गगहा गोरखपुर

(2) उ0नि0 कुँवर गौरव सिंह थाना गगहा गोरखपुर

(3) उ0नि0 प्रधान यादव थाना गगहा गोरखपुर

(4) हे0का0 बैजनाथ यादव थाना गगहा गोरखपुर

(5) का0 दीपू कुवंर थाना गगहा गोरखपुर

(6) का0 नन्दलाल गौड थाना गगहा गोरखपुर

(7) का0 विनित यादव थाना गगहा गोरखपुर

(8) का0 विजय कुमार यादव थाना गगहा गोरखपुर

(9) का0 अनिल पाण्डेय थाना गगहा गोरखपुर